फर्द अहकाम

निरंजन बनाम कृष्ण कुमार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (जयपुर)

प्रकरण संख्या .....121./2021 धा.-फा.टी.-

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/7/25	बुलाये फरीकेन उपस्थित वकील। कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 19.8.25 को पेश हो।	
	19/8/25	बुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 11.11.25 को पेश हो।	
	11/11/25	बकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 20.01.26 को पेश हो।	
	20.1.26	पत्रावली पेश। फरीकैन वकील उपस्थित। पत्रावली सावधिक आदेश की पालना में दिनांक 05.2.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला-कोटपूतली-बहरोड़)	
	5.2.26	पत्रावली पेश। फरीकैन वकील उपस्थित। पत्रावली सावधिक आदेश की पालना में दिनांक 16.4.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला-कोटपूतली-बहरोड़)	
	16/4/26	फरीकैन/वादी वकील के प्रार्थना पत्र पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। फरीकैन/वादी का निवेदन स्वीकार कर प्रार्थना पत्र पत्रावली स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली उपखण्ड स्तर से कम होने कारण दर्ज नम्बर से कम होने कारण दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	

पत्नी सरबती पत्नी मदनलाल व पुत्रक मदन पुत्र महेश, बजरंग पुत्रान